

डिक्री व मुकद्दमें इत्दाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- देवी सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर: 50/16

1. छोटेलाल पुत्र फत्तेसिंह कौम राजपूत निवासी वार्ड न0 13 राजाखेडा जिला धौलपुर

----- वादी

बनाम

1. कंचनलाल पुत्र फत्तेसिंह
2. हरप्यारी पत्नी नबाबसिंह (दौराने दावा फौत)
3. ओमप्रकाश ] पि0 नवावसिंह
4. कन्हैया ]
5. रामा पुत्री नवावसिंह
6. राकेश कुमार ] पि0 सूवलाल
7. रामनिवास ]
8. भगवान सिंह पुत्र हेतसिंह (फौत)
- 8/1 वैयजन्ती वेवा भगवान सिंह
- 8/2 महाराज सिंह ]
- 8/3 महेश ] पि0 भगवान सिंह
- 8/4 हरीओम ]
- 8/5 सिरनाम ]
9. एस.बी.आई. ए.डी.बी. शाखा धौलपुर जरिये प्रबंधक
10. तहसीलदारजी राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर
11. हीरादेवी पुत्री नवावसिंह पत्नी जगदीश जाति ठाकुर निवासी वार्ड न0 10 राजाखेडा

कौम राजपूत निवासीगण वार्ड न0 13  
राजाखेडा

जाति राजपूत निवासीगण वार्ड न0 24  
राजाखेडा

.....प्रतिवादीगण

दावा- विभाजन काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 27.07.2022

मु0 नम्बर 50/16

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री ए.के.जैन अधिवक्ता वादी व श्री प्रेम सिंह राघव अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाकर दावा वादी मुताविक कुर्रैजात प्रस्ताव विवादित आराजी स्थित कस्वा महदवार न0 1 का निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि - आराजी खसरा न0 1129/1 रकवा 0.1687 किस्म चा.अ. लगान 0.04, 1130/1 रकवा 0.1052 किस्म बा.जा. लगान 0.03, 1131/2 रकवा 0.2023 किस्म चा.अ. लगान 0.03, 2716/1133/1 रकवा 0.0253 वा.जा.अ. लगान 0.01, 1134/1 रकवा 0.0253 किस्म चा.अ. लगान 0.01, 1135 रकवा 0.3667 किस्म बा.जा.अ. चा.अ लगान 0.07, 1146/2 रकवा 0.0591 किस्म बाजअ लगान 0.02 कुल किता 7 कुल रकवा 0.9526 तथा कुल लगान 0.21 वादी छोटेलाल पुत्र फतेहसिंह कौम राजपूत सा.दे. खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। आराजी ख.न. 1131/1 रकवा 0.0506 किस्म चा.अ. लगान 0.01, 1146/1 रकवा 0.4215 किस्म वा.जा.अ.चा.अ. लगान 008, 1147 रकवा 0.3667 किस्म वा.जा.अ.

लगान 0.04 व चा.अ 0.03, 1148 रकवा 0.1138 किस्म वा.जा.अ लगान 0.01 व चा.अ. लगान 0.01 कुल किता 4 कुल रकवा 0.9526 तथा कुल लगान 0.18 प्रतिवादी संख्या 1 कंचनसिंह पुत्र फतेहसिंह कोम राजपूत सा.देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। आराजी ख.न. 1104/1 रकवा 0.1349 किस्म वा.गो. लगान 0.3, 2716/1133/2 रकवा 0.0759 किस्म चा.अ. वा.जा.अ. लगान 0.02, 1129/2 रकवा 0.0589 किस्म चा.अ. वा. जा.अ. लगान 0.01, 1132/1 रकवा 0.0169 किस्म गै.मु.कुंआ लगान 0, 1134/2 रकवा 0.2529 किस्म वा.जा.अ. लगान 0.04 तथा ख.न. 1130/2 रकवा 0.4133 किस्म चा.अ. लगान 0.7 कुल किता 6 कुल रकवा 0.9528 लगान 0.17 प्रतिवादी संख्या 6 व 7 राकेश कुमार, रामनिवास पुत्रान सूबेलाल कौम राजपूत सा. देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। तथा आराजी ख.न. 1104/2 रकवा 0.1560 किस्म वा.गो. लगान 0.4, 1137 रकवा 0.0632 किस्म वा.गो. लगान 0.02 , ख.न. 1142 रकवा 0.2276 किस्म वा.गो. लगान 0.06 , ख.न. 1143 रकवा 0.2782 किस्म वा.गो. लगान 0.07 , ख.न. 1144 रकवा 0.2276 किस्म वा.गो. लगान 0.06 कुल किता 5 कुल रकवा 0.9526 कुल लगान 0.25 प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 रामा, ओमप्रकाश, कन्हैया पिसरान नबाब सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के हिस्से व कब्जे में रहेगी। व आराजी ख.न. 1132/2 रकवा 0.0084 किस्म गै.मु. कुंआ लगान 0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.0084 प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान 8/1 ल0 8/5 के हिस्से व कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.07.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई



(देवी सिंह)

उपखण्ड आर.ए.एस. अधिकारी  
उपखण्डाधिकारी, राजाखेड़ा